ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 315-319**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का अध्ययन

1. डॉ0 पी0 के0 बंसल
2. डॉ0 संजीव गुप्ता
3. सुधीर कुमार शर्मा

1. पर्यवेक्षक– प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, 2. सह–पर्यवेक्षक– प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय श्यामलाल पांडवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 3. शोध छात्रैता, ग्वालियर (म0प्र0) भारत

Received-23.06.2022, Revised-27.06.2022, Accepted-30.06.2022 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांश:– *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी कई योजनाओं को समाहित करके प्रारम्भ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के जोखिमों के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर और कुशल औजार है। वर्ष, 2016–17 के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन लगभग तीन गुना कर दिया गया है। अब तक 24 राज्यों और सभी केंद्र–शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है। वर्ष 2016–17 में खेती करने वाले करीब 58 लाख हेक्टेयर इलाके को इसके दायरे में लाया गया है। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रख कर बनायी गई है। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रूपये को योजना पर व्यय किया जाएगा। इसके अन्तर्गत किसानों द्वारा बीमा कम्पनियों को खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत कम रखा गया है, जिससे प्रत्येक स्तर के किसान आसानी से भुगतान कर सकें। यह योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।*

कुंजीभूत शब्द– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित, समाहित, ग्रामीण क्षेत्रों, जोखिमों, वाणिज्यिक, बागवानी, प्रीमियम।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद से भारत में फसल बीमा की जरूरत पर बहस हुई, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। वर्ष, 1947 से 1985 के बीच फसल बीमा की इक्का–दुक्का योजनाएं बनीं। ये प्रायोगिक योजनाएं आम तौर पर फसल या स्थान निर्दिष्ट सी थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष, 1947 मे फसल बीमा योजना धीरे–धीरे अधिक से अधिक बार उल्लेख में आना शुरू हो गयी। केन्द्रीय विधान मंडल ने वर्श, 1947 में इस विषय पर चर्चा की गयी, जिसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने यह आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से फसल और मवेशियों की फसल बीमा की संभावना की जांच की जायेगी।

अक्टूबर, 1965 में भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक पेश करने का फैसला लिया था वर्ष, 1970 में फसल बीमा योजना विधेयक के मसौदे एवं मॉडल योजना को डॉ0 धर्म नारायण की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन करके उनके पास भेजा गया था। इस प्रकार दो दशकों से अधिक समय तक फसल बीमा के मुद्दे पर बहस और चर्चा हुई थी।

सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जिसके कारण किसान अधिक लाभार्वित हो रहे है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य और केन्द्रीय सरकार में बराबर–बराबर बाँटा जाएगा। इस योजना मे प्रीमियम की दर एन.एआ.ई.एस. और (एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है इसके अन्तर्गत तकनीकी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसान मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है। मानव द्वारा निर्मित आपदाओं जैसेः आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। यह योजना नई फसल बीमा योजना "एक राष्ट्र एक योजना" विषय पर आधारित है। यह योजना पूर्ववर्ती सभी योजनाओं की अच्छाइयों को धारण करते हुए, उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करते हुए बनाई गयी है।

इस योजना मे आकलित प्रीमियम का षेश भाग केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर अनुपात मे वहन किया जाएगा या सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनी को दिया जाएगा।

कुछ बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनी पूर्ववर्ती योजना से अलग तथा बेहतर है। प्रथम, यदि बीमित किसान किन्ही प्राकृतिक कारणों से समय पर खेत की बुवाई नहीं कर पाता तो इस प्रकार से उत्पन्न नुकसान भी बीमा क्षेत्र में आएगा तथा किसानों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति होगी। दूसरा, फसल की कटाई के बाद किसान को होने वाली हानि पहले बीमित नहीं थी, परन्तु यदि फसल की कटाई के 14 दिन के भीतर यदि कोई आपदा आती है, तो उससे होने वाली हानि भी बीमित होगी। तीसरा, इस योजना में जलभराव, ओला और भूस्खलन आदि को स्थानीय आपदा माना गया है। यदि किसी आपदा से सभी ग्राम पंचायत को नुकसान नहीं हुआ बल्कि, उसका प्रभाव कुछ किसानों तक सीमित हो, जैसे नदी के

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

कारण जलभराव हो गया तो उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा क्षेत्र में आएगी। चौथा, आपदा से होने वाली हानि के आकलन की पद्धति की दृष्टि से भी यह बीमा योजना पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना से अलग पारदर्शी तथा कम समय लेने वाली होगी। फसलों के नुकसान के आकलन तथा इस पर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती थी। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों जैसेः ड्रोन, स्मार्टफोन का प्रयोग अधिक अच्छा तथा तीव्र परिणाम देगा। इस योजना में प्रक्रियात्मक देरी में कमी लाने के लिए सारे कार्यों को समयबद्ध कर दिया गया। इतना ही नहीं इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य तथा केंद्र स्तर पर निगरानी समितियों के गठन की भी व्यवस्था है। इस योजना के प्रति बीमा कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए यह व्यवस्था है कि सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर जोखिम वहन करेंगी।

यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है, जो वित्तीय संस्थाओं बैंकों तथा सहकारी समितियों से प्रत्यक्ष किसान डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेते हैं तथा अन्य किसानों के लिए ऐच्छिक है। वर्ष, 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गिरते हुए क्षेत्रफल तथा किसानों की इसमें भागीदारी की दृष्टि से, बहुत खराब दौर से गुजर रही थी। इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा वित्तीय आवंटन को और अधिक बढ़ाने के लिए। पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी हाल ही में दी गई रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए। कमेटी ने यह माना कि बीमा योजना की रूपरेखा में आधारभूत दोष तथा कमजोरियां हैं जिनके कारण स्कीम प्रभावपूर्ण नहीं रही। रिपोर्ट की संस्तुतियों को दृष्टि में रखते हुए अक्टूबर, 2018 को इस स्कीम में कुछ नवीन परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार है–

1– जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को फसल बीमा द्वारा आच्छादित किया जाना है।

2– कुछ बागवानी फसलों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाया जाये।

3– किसी स्थान पर केंद्रित आपदाओं जैसेः जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, ओला, आंधी तथा आग से होने वाले नुकसान को बीमा के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया।

4– बीमा कंपनियों को उनकी प्रीमियम आय का 0.5 प्रतिशत लोगों की इसकी व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए किए गए विज्ञापन पर व्यय करना अनिवार्य किया गया।

5– फसल की क्षति के संबंध में दावा को खत्म करने में होने वाले विलम्ब के संबंध में दंड की व्यवस्था की गई, जो दो माह तक पूरा न किए जाने के संबंध में बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड देय होगा। इसी प्रकार राज्यों को बीमा प्रीमियम के देने में होने वाले विलम्ब के लिए 12 प्रतिशत की दर पर दण्ड देय होगा।

साहित्य की समीक्षा– स संदर्भ में कई अन्य शोधकार्य भी विगत वर्षों में किये गये है जिनमें से कुछ अध्ययनो का विवरण निम्नलिखित है–

1. कट्टारकंडी, ब्रीजेष उत्तम देव और सिंथिया बंटीलान (2014) : अपने शोध लेख में भारत में वर्षा बीमा से संबंधित अध्ययन करते है, शुष्क भूमि खेती से संबंधित जोखिम का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में वर्षा बीमा योजनाएं व इसके परिचालन संबंधित तौर तरीके पात्रता मानदंड के रूप में प्रीमियम का भुगतान, लाभ संरचना व भुगतान और तकनीकी बाधाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने परिकल्पना की जांच व वर्षा बीमा के कम प्रसार को इसके साथ जोड़ा कि स्थिति जहा संभावित खरीदार संबंधी नहीं थे उनके नियमित प्रदर्शन के लिए उत्पाद, यह अध्ययन रेखांकित करता हैं।

2. लोपमुद्रा और धालीवाल (2014) : ने पंजाब राज्य में कार्यात्मक .षि बीमा योजनाओं की समीक्षा की सूक्ष्मदर्शी और मैक्रोस्कोपिक रूप से देश में भारत ने 01. 09.1972 के बाद फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया है जो समय–समय पर शुरू की गई है, इसके सभी रूपों में विभिन्न दोष है, फिर भी भारत अकेला नहीं है। जहाँ 'सार्वजनिक फसल बीमा योजना सफल नहीं हुआ।

3. प्रोस्पर वाई, दादसन (2014) : में उनके शोध लेख के रूप में फसल बीमा की सम्भावनाएं अलग–अलग फसलों को किसानों के बीच जोखिम प्रबंधन उपकरण जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल घाना में वे इच्छाओं का आकलन करना चाहते थे।

4. डेनियल दानिगा, झागं कियाओं (2014) : अन्तर्राष्ट्रीय जनरल ऑफ साइंस एंड ह्यूमेनिटीज" अपने शोध लेख में, कारक को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण से तंजानिया में सूखा बीमा के लिए किसान व सूखा बीमा क्षेत्र के प्रति किसानों को मूल्यांकन।

5. वोल्फगैंग बोकेलमैन और जेसन स्कॉट एनसिंगर (2014) : में उनके शोध लेख में किसानों से प्रभावित कारक पर्यावरणीय गिरावट के लिए अनुकूलन रणनीतियों और जलवायु परिवर्तन प्रभाव का एक फार्म स्तर के अध्ययन में बांग्लादेश में उन्होंने उसके अनुकूलन की जाँच की है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

6. बंटीलानं (2014) : ने बारिश बीमा योजनाओ और इसकी परिचालानात्मक विधियों का अध्ययन किया। जैसे– पात्रता मानदंड, प्रीमियम का भुगतान, लाभ सरचना भुगतान और तकनीकी बाधायें यह निम्न परिकल्पना की जाँच करता है।

7. क्रियानुश एट और अल (2012) : "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईरान" ने एक जोखिम प्रबंधन रणनीति के रूप में फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार किया। ईरान के किसान यह अध्ययन माध्यमिक और प्राथमिक आँकड़ों और सूचनाओं दोनों पर आधारित है यह एक सर्वेक्षण अनुसंधान था।

अध्ययन की आवश्कता– कृशि क्षेत्र में लगातार उत्पन्न आकस्मिक घटनाओं से गंभीर आर्थिक संकट से परेशान होकर किसान आये दिन आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं और यह किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या हैं। कृषि फसलों के उत्पादन में लगने वाली लागत और आगत में अंतर, ऋणग्रस्तता तथा प्राकृतिक आपदा जोखिमपूर्ण अनिश्चितता, सरकारी सहायता का अभाव तथा सहायता का समय पर न मिल पाने के कारण हाल के कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में हुई अधिकतर आत्महत्या कृषि क्षेत्र में फसलों के उत्पादन में व्याप्त असफलताओं और उनके फलस्वरूप बड़े दबाव के कारण हुई हैं। यह दबाव इसलिए बढ़ गए हैं, क्योंकि कृषि फसल लगातार खराब होने और इन फसलों के उत्पादन के आधार पर लिया गया ऋण संचयी रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फसल बीमा योजना का लक्ष्य किसानों, विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों को इसकी सुरक्षा के अंतर्गत लाना हैं। इस अध्ययन के कई महत्वपूर्ण आयम है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य– इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है–

1. कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को प्राप्त होने वाली बीमाकृत राशि पर ध्यान आकर्षित करना।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को होने वाले लाभ का अध्ययन करना।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालना।

पीएमएफबीवाई के तहत फसलों और प्रीमियम का विस्तार

क्र०स०	फसल	किसानों द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत
1	रबी	1.5%
2	खरीफ	3.5%
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले	2.5%

गतिविधि कैलेंडर	खरीफ फसल	रबी फसल
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण।	अप्रैल से जुलाई तक	अक्टूबर से दिसम्बर तक
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ तारीख (ऋणदाता और गैर–ऋणदाता)।	31 जुलाई	31 दिसम्बर
उपज आंकड़ा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख	अतिंम फसल के एक महीने के भीतर	अतिंम फसल के एक महीने के भीतर

सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 कारण भारत के अधिकांश किसानों को फसल क्षति में मदद करेगी। खेती में रुचि रखने वाले किसानो को ध्यान में रखते हुए और स्थायी आय प्रदान करते हुए इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान और चिंताओं से मुक्त करना है। किसानों को लगातार खेती करने के लिए बढ़ावा देना होगा और भारत को विकसित और प्रगतिशील बनाना होगा। कृषि उत्पादक (जिनमें रैचर्स, किसान और अन्य) फसल बीमा खरीदते है ताकि कृषि जिसो की कीमतों में गिरावट के कारण राजस्व के नुकसान से खुद को बचाया जा सके या प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, ओले, कीट, रोग, सूखा आदि) के कारण उनकी फसलों के नुकसान से बचा जा सके । फसल– राजस्व बीमा और फसल उपज बीमा फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां है।

फसल बीमा योजनाएं प्रदान करने वाली सामान्य बीमा कंपनियों की सूची निम्नलिखित है–

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

क्र.	संस्थान	पूंजी में भागीदार प्रतिशत में
1.	General Insurance Corporation of India (G.I.C.I.)	35
2.	National Bank for agriculture and Rural development (N.A.B.A.R.D)	30
3.	National Insurance Company Limited	8.75
4.	The New India Insurance Company Limited	8.75
5.	Oriental Insurance Company Limited	8.75
6.	United India Insurance Company Limited	8.75

देश में कृषकों के लिए उनकी फसलों एवं कृषि में जोखिम से बचाव की वचनबद्धता के साथ राष्ट्रीय कृषि बीमा की शुरूआत वर्ष 1999–2000 में रबी के सीजन में की गयी इस योजना को शुरूआत में 9 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में चालू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उस समय संचालित व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ, सूखा, ओला, पाला, तूफान, रोग इत्याादि से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि में होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना अपने इन्ही उद्देश्यों के लिए हुए विकसित होती चली गई एवं अंततः यह लगभग देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में संचालित होने लगी इस योजना का कार्यान्वयन भारत की भारतीय कृषि कंपनी लिमिटेड करती है।इस योजना की वास्तविक स्थिति तथा प्रगति की जानकारी आंकडो के विश्लेषण के आधार पर हो सकती है। इसकी प्रगति को समझने के लिए देश स्तर तथा राज्य स्तर के आंकडों का विश्लेषण करना होगा जो इस प्रकार से है।

योजना से संबंधित आंकडें राष्ट्रीय स्तर पर सीजन – खरीफ

S.N	Year	Former covered	Area in hect.	R.S. in lakh				formers Benefitted
				Sub insured	Total premium	of which subsidy	Total claims	
1.	2010	8409374	13219829	690338	20674	4740	122248	3145776
2.	2011	8696587	12887710	750246	26162	4762	49353	4337041
3.	2012	9768711	15532349	943169	32547	4486	182431	1617802
4.	2013	7970830	12355514	811413	28333	2444	65268	2280276
5.	2014	12687104	24273394	1317062	45894	2009	103816	1823556
6.	2015	12673833	20531038	1351910	44995	2043	105994	3131511
7.	2016	12934050	19672930	1475925	46729	2655	177491	1589974
8.	2017	13398541	20754431	1700745	52431	2665	91337	4210591
9.	2018	12988804	17633181	1566238		51184	3371	237432
10.	2019	18274720	25829883	2761672	86285	5715	296153	
11.	2020	11443443	17803556	2045356	62970	3388	-	

स्रोत – वार्षिक रिपोर्ट 2010–21 कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार

निष्कर्ष– संपूर्ण किए गये शोध अध्ययन के अंतर्गत "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावषीलता का विष्लेषणात्मक अध्ययन : ग्वालियर जिले के विषेष सन्दर्भ में" के तात्कालीन, कार्यप्रणाली इसके उद्देश्यों इसके प्रभावों, इसके सामाजिक योगदान इत्यादि का मूल्यांकन एवं गहन जाँच किये जाने के उपरांत निम्नलिखित शोध समस्यायें एवं निष्कर्ष स्पष्ट हुए हैं–

कृषि हमारे राष्ट्र में एक उद्यम या फिर कोई गतिविधि मात्र नहीं है, यह यहाँ के लोगों के स्वासों में बसती है यह कथन में कोई ज्यादा अतिश्योक्ति नही है। हमारे राष्ट्र में रहने वाले सम्पूर्ण जनमानस का फीसदी गांवों में निवास करते हैं तथा मात्र फीसदी लोग ही शहरी जीवन यापन करते हैं। परंतु ये भी परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से कृषि से तथा इसके उपजो से जुडे हैं। एवं हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसानों की यह जीवनयापन का प्रमुख आधार है।

कृषि के बिना इनके अस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जायें तो प्राथमिक भाग में कृषि ही आती है। कृषि का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे भाग में उद्योग एवं व्यापार को स्थान दिया गया है। इन उद्योग से मानवीय जरूरतों के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण होता है। इसमें Raw material की आपूर्ति भी कृषि के माध्यम से की जाती है। अतः बिना कृषि के उद्योग भी बेकार है, अतिस्तत्वहीन है।

हमारे राष्ट्र की कृषि मौसम आधारित है। यहाँ की कृषि मौसमीय घटनाओं के आधारपर काफी प्रभावित होती है। इसी वजह से यहाँ की कृषि को रिस्क युक्त उद्यम माना गया है। मौसमीय विपदायें जैसे– अतिवृष्टि, अल्पविष्ट, चक्रवात, ओला,

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

पाला, तेज हवायें, लूं, शीत इत्यादि कृषि उपज को काफी ज्यादा मात्रा में परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि उपजों में लगने वाले रोग कीटों, बीमारियों आदि की वजह से भी इसमें नुकसान की आशंका बनी रहती है। मृदा का अवस्थ्य होना ज्यादा से ज्यादा रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आना कृषि उपजों की यथा उचित रखरखाव की व्यवस्था, परंपरागत रूप से कृषि कराने, कृषि का बाजारीकरण न हो पाना, उपजों का असुरक्षित होना इत्यादि कई सारे कारक है जो कि कृषकों को दूसरे उद्यमों की अपेक्षा ज्यादा अनिश्चितता युक्त एवं रिस्क युक्त बनाते हैं।

भारतीय कृषि में व्याप्त रिस्क तथा इसकी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा की नितांत जरूरत थी। यह किसानों को इसमें उत्पन्न होने वाले रिस्क तथा होने वाले नुकसान की भरपाई कर उन्हें निश्चिन्तता एवं सबलता देती है। यह किसानों की आमदनी को स्थाई करने एवं उनको भविष्य के रिस्क से सुरक्षित करने की एक सटीक रणनीति है। किसानों के ऊपर होने वाले अप्रत्याशित एवं अनुचित कर्ज से बचाने हेतु यह एक आसान माध्यम है। इसके अंतर्गत किसान सामान्य किस्तों में बीमें के अधिशुल्क की राशि अदा कर कम दर पर कर्ज प्राप्त कर लेते हैं। और कृषि में होने वाले नुकसान से अपने आप को सुरक्षित करा पाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, बी.एन. कृषि भूगोल, प्रयास पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2010 पृष्ठ क्र. 68.
2. वर्मा, सुरेश चन्द्र, प्रक्षेप एवं भू–प्रबन्धन के मूल सिद्धान्त, यूनिवर्सिटी बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ क्र–61.
3. हुसैन माजिद, कृषि भूगोल, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली 2011 पृष्ठ क्र 211.
4. सिंह सिद्धार्थ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इन इण्डिया, सेन्टर फॉर इंश्योरेंस एण्ड रिस्क मैनेजेमेण्ट, जून 2007.
5. मिश्रा पी.के. एग्रीकल्चर रिस्क, इंन्सयोरेन्स एंड इनकम, अरबाई : ऐरागेट पब्लिसिंग कंपनी।
6. Kaattarkandi Byjesh, Uttam Deb and Cynthia Bantilan. Rainfall Insurance in India: Does it Deal with Risks in Dry land Farming? paper presented at the 8th Conference of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) held on 15-17 October 2014 at the BRAC Centre for Develop ment Management (BRAC CDM), Savar, Dhaka, Bangladesh,2014.
7. Lopamudra Mohapatra, R K Dhaliwal. Review of Agriculture Insurance in Punjab state of India, ISSN 2320-5407, International Journal of Advanced Research. 2014; 2(5):459-467.
8. Wie, Dadson Awunyo-vitor. Prospects of Crop Insurance as a Risk Management Tool among Arable Crop Farmers in Ghana|, Asian Economic and Finacial Review 2014; 4(3):341-354.
9. Philip Daniel Daninga Zhang Qiao. Factors affecting attitude of farmers towards drought insur ance in, Tanzania |, International Journal of Science Commerce and Humanities 2014.
10. Wolfgang Bokelmann and Jason Scott Entsminger (2014) ,in their research article- Factors Af fecting farmers 'Adaptation Strategies to Environmental Degradation and Climate Change Ef fects: A Farmer Level Study in Bangladesh, 2014,2,223- 241; ISSN 2225-1154, www.mpdi.com/ Journal/Climate,2014.
11. Bantilan Rainfall Insurance in India: Does it Deal with Risks in Dry land Farming?| paper pre sented at the 8th Conference of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) held on 15-17 October 2014 at the BRAC Centre for Development Management (BRAC CDM), Savar, Dhaka, Bangladesh,2014.
12. Kriyanoush Ghalavand, Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy is Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sci ences. Available online at www.ijagcs.com, IJACS/ 2012 / 4-13 / 831 - 838, ISSN 2227-670X@2012 IJACS Journal.2012.

*****